RE section

आर टी आई मामला/समयबद्ध/स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या 6/3/2013-एन.ई.।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

सेवा में

श्रीमती सिंह, पत्नी उमेश सिंह,
गांव खालिसपुर, डाकघर-इन्दासो,
पुलिस थाना-नगरा,
जनपद-बलिया (उत्तर प्रदेश)-221711

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 26.8.2013 के तहत मांगी गई सूचना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 18.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 27.11.2013 के पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आइ का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. मांगी गई सूचना नीचे विंदु-वार दी गई है :-

(1) तीन नागा प्रतिनिधि संगठनों ने युद्ध विराम करार किया हुआ है। ये हैं :-

(i) एन एस सी एन (आई एम), (ii) एन एस सी एन (के), (iii) एन एस सी एन (के के)

(2) भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.8.1997 को एन एस सी एन (आई एम) नेतृत्व के साथ युद्ध विराम संबंधी करार को एन एस सी एन/आई एम के साथ राजनैतिक वार्ता के परिणाम के अध्यधीन असीमित अवधि तक बढ़ाया गया है।

(3) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुईवाह) गुट (एन एस सी एन/आई एम) नागा लोगों का प्रतिनिधि निकाय है। भारत सरकार इस गुट के साथ राजनैतिक वार्ता कर रही है।

(4) एन एस सी एन (आई एम) के कॉडरों को अभिहित शिविर में रहना है। चूंकि इस गुट ने युद्ध विराम संबंधी करार किया हुआ है, इसलिए बिना शस्त्रों के इनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(5) आपके आवेदन की प्रति नागालैंड सरकार को भेज दी गई है ताकि आपको उपलब्ध सूचना मुहैया कराई जा सके।

3. इस अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, यदि कोई हो, इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। इस मामले में अपील श्री शंभु सिंह, संयुक्त सचिव (एन ई), गृह मंत्रालय, कक्ष सं. 109-ग, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को की जा सकती है।

(जे.पी.एन. सिंह)
निदेशक (एन ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
टेलीफैक्स : 2309 2485

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार, कोहिमा को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 18.11.2013 के आवेदन की एक प्रति सहित - ताकि आवेदन के पैरा (5) में मांगी गई सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए।
2. आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय।

27/12

जारी किया
ISSUED
27 DEC 2013
गृह मंत्रालय

RTI Matter/Time bound/By Speed Post

No.6/3 / 2013-NE.I
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

...

North Block, New Delhi
Dated the Dec, 2013

To,

Smt. Singh, W/O Umesh Singh,
Vill. Khalispur, P.O. Indaso,
Police Station-Nagara,
Janpad-Balia, (U.P.) – 221711

Subject: - Information sought under RTI Act, 2005 vide your application dated 26.8.2013.

I am directed to refer to this Ministry's letter No.A-43020/01/2013-RTI dated 27.11.2013 in connection with your application dated 18.11.2013 under the RTI Act, 2005 on the above subject.

2. Information sought is given point-wise as below:-

(1) There are three Naga representative groups having Ceasefire agreements. They are:-
(i) NSCN (IM), (ii) NSCN (K), (iii) NSCN (KK)

(2) The ceasefire agreement was signed by the Govt. of India with the NSCN (IM) leadership on 1.8.1997. The cease fire with the NSCN (IM) has been extended for indefinite period subject to outcome of the political dialogue with NSCN/IM.

(3) The National Socialist Council of Nagaland (Issac Muivah) group (NSCN/IM) is Naga People's Representative Body. The Govt. of India is in a political dialogue with this group.

(4) The NSCN (IM) cadres have to remain in the designated camp. Since the group is in Ceasefire agreement, there is no restriction on their movement without arms.

(5) A copy of your application has been forwarded to the State Govt. of Nagaland for providing the available information.

3. Appeal U/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication. The appeal in the case lies with Sh. Shambhu Singh, Joint Secretary (NE), Ministry of Home Affairs, Room No. 109-C, North Block, New Delhi-110001.

(J.P.N. Singh)
Director (NE) & CPIO
Telefax: 2309 2485

Copy for information to:-

1. Chief Secretary, Govt. of Nagaland, Kohima alongwith a copy of the application dated 18.11.2013 under RTI Act, 2005 for providing the information sought vide Para(5) of the application, directly to the applicant.

2. RTI Section, MHA

आर टी आई मामला/समयबद्ध

स. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 27/11/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ श्रीमती सिंह का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के ~~संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री श्रीमती सिंह के दिनांक रहित के आवेदन (इस मंत्रालय में से संख्या द्वारा~~ दिनांक: 18/11/2013 को प्राप्त) को आई.पी. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 19/11/2013 की रसीद सं. 27455 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(1) निदेशक (आई.पी.-II)
गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ श्रीमती सिंह
W/o श्री [illegible] सिंह
ग्राम- खालिसपुर पो० [illegible]
थाना- नगरा जनपद- बलिया (उ०प्र०)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

[Handwritten annotations: S/NE-II 16/12; SO(NE.II) 16/12; उपसचिव (एन.ई.) गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली For year [illegible] 13.12; Dir (NE)]

7038/RTI/2013
27/11/13

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
18 NOV 2013
के.र.सं. 1934
C.R. No.

प्रेषक,

श्रीमती सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह
ग्रा0 खालिसपुर, पो0 इन्दासो
थाना नगरा, जनपद बलिया, (उ0प्र0)

सेवा में,

श्रीमान सहायक जनसूचना अधिकारी
कार्यालय गृह सचिव, भारत सरकार
सचिवालय नई दिल्ली।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं प्रार्थिनी श्रीमती सिंह पत्नी उमेश सिंह ग्रा0 खालिसपुर, पो0 इन्दासो, थाना नगरा, जनपद बलिया, (उ0प्र0) की निवासिनी हूं। आपसे निम्न बिन्दुओं पर प्रमाणित सूचना प्राप्त करना चाहती हूं।

1— नागालैण्ड में कितने उग्रवादी संगठन युद्ध विराम में हैं।

2— नागालैण्ड उग्रवादी संगठन एन0एस0सी0एन0 (आई0एम0) और भारत सरकार के बीच युद्ध विराम कितने सालों से है। उसका दिन, महीना व साल का विवरण देने की कृपा करें।

3— नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (ईशाक मोइबा) ग्रुप (एन0एस0सी0एन0) (आई0एम0) कौनसी श्रेणी में आता है।

(क) उग्रवादी (ख) अलगाव वादी (ग) आतंकवादी

4— (एन0एस0सी0एन0) (आई0एम0) संगठन के कार्यकर्ता भारत में घूमने के लिए कहां कहां प्रतिबन्धित हैं। कृपया प्रदेशों का विवरण दें।

5— (एन0एस0सी0एन0) (आई0एम0) नागा संगठन जब से युद्ध विराम हुआ है। तब से कितने बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इसका विवरण सहित सूचना देने की कृपा करें।

निर्धारित समयावधि में रजिस्टर्ड पते पर प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसकी एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रख ली गई है। सूचना शुल्क 10 रुपये का पोस्टल आर्डर No 98F 54448336 आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

दिनांकः—

Dir (IS-II)

प्रार्थिनी
श्रीमती सिंह

श्रीमती सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह
ग्रा0 खालिसपुर, पो0 इन्दासो
थाना नगरा, जनपद बलिया, (उ0प्र0)